इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सब से जिनका इस बात से सरोकार है, यह प्रार्थना एवं अपेक्षा की जाती है कि वे बाहक को बिना रोक-टोक, आजादी से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY WITHOUT LET OR HINDRANCE, AND TO AFFORD HIM OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE MAY STAND IN NEED.

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया
BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

आर. सी. शर्मा
R. C. SHARMA
सहायक / ASSISTANT
PASSPORT OFFICE
जयपुर / JAIPUR

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

प्रकार /Type: P
देश कोड /Country Code: IND
पासपोर्ट सं. /Passport No.: G3135763
उपनाम /Surname: KAMAL KISHORE
दिया गया नाम /Given Names: KAMAL KISHORE
राष्ट्रीयता /Nationality: INDIAN
लिंग /Sex: M
जन्म तारीख /Date of Birth: 15/03/1984
जन्म स्थान /Place of Birth: KUSHALPURA
जारी करने का स्थान /Place of Issue: JAIPUR
जारी करने की तिथि /Date of Issue: 22/06/2007
समाप्ति की तिथि /Date of Expiry: 21/06/2017

कमल किशोर

P<IND<<KAMAL<KISHORE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
G3135763<6IND8403157M1706217<<<<<<<<<<<<<<<2

पंजीकरण

यदि आप भारत छोड़ कर कहीं और जाते हैं तो आपको इस पासपोर्ट के साथ में अपने निकट के भारतीय दूतावास / उच्चायोग में पंजीकरण करवाना होगा।

चेतावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की संपत्ति है। पासपोर्ट अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर इसे वापस लौटाना होगा। यह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाना, या इसमें किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ की जाना, या इसमें किसी भी प्रकार का विकृतीकरण किया जाना, या इसे नष्ट किया जाना, या इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर यह पासपोर्ट अमान्य हो जाएगा। यदि किसी भी प्रकार के विकृतीकरण का पता चलता है तो पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION / POST

CAUTION

THE PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY HOLDER FROM THE PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. IT SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF PASSPORTS SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY OR ISSUE OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A REPLACEMENT PASSPORT BE ISSUED.

PALI RAJ

RAIPUR

VPO.KUSHALPURA

PAPLI DEVI

BHIKAM CHAND